



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 57917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1081/2026

किशोर -के

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : शैलेंद्र कुमार गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष कुमार गुप्ता

1. नोटिस को तामील किया गया है, लेकिन प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्राकृतिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे आगे "न्यायिक न्याय अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के तहत दायर की गई है, जिसमें याचिका को स्वीकार करने और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पीओसीएसओ अधिनियम/बाल न्यायालय, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 05.01.2025 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 52 के तहत याचिकाकर्ता की आपराधिक अपील संख्या 50/2025 (किशोर आरोपी 'के' बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) को खारिज कर दिया गया था, और साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, मिर्जापुर, जिला मिर्जापुर द्वारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 25.09.2025 को वाद संख्या 81/2025 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशोर आरोपी 'एस') में मामला अपराध संख्या 161/2025 धारा 137(2), 70(2) बीएनएस और धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी अधिनियम और 5जी/6 पीओसीएसओ अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला मिर्जापुर में दर्ज में पारित जमानत खारिज करने के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई है

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस मामले में वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कथित घटना के समय याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष थी। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता सहित सह-आरोपियों पर पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप है। दो आरोपी बालिग थे, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 41257/2025 (संजू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) और आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 39492/2025 (बैजान उर्फ लाल साहब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य) में दिनांक 21.01.2026 और 22.01.2026 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दे दी थी। याचिकाकर्ता का मामला इससे अलग नहीं है। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत दिए गए प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय दोनों ने ही विचार नहीं किया है। माननीय न्याय बोर्ड ने जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और माननीय अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे वैध नहीं कहा जा सकता। आरोपी 26.04.2025 से किशोर देखभाल गृह में है और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।

5. माननीय एजीए ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और मुख्य शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों, अभिलेखों के अवलोकन, पीड़िता की आयु, धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान, याचिकाकर्ता की आयु और उसके अवलोकन गृह में रहने की अवधि, सह-आरोपी की कोई विशिष्ट भूमिका न होने, जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा दायर रिपोर्ट, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों और उप-निदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ध्यान में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रखते हुए, यह प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेखों में मौजूद सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया और न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार बनता है और किशोर न्याय बोर्ड और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं।

7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 25.09.2025 को पारित आदेश और अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.2026 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाता है।

8. यह निर्देश दिया जाता है कि किशोर/आवेदक को संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के अनुरूप पुनरीक्षणकर्ता (अपराधी का कानूनी अभिभावक) और दो जमानती द्वारा समान राशि के व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि जमानत पर रिहाई के बाद पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में नहीं आने दिया जाएगा और न ही उसे किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ने दिया जाएगा तथा पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति न करे।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक यह वचन देंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेगा और अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजन गतिविधियों में बर्बाद नहीं करेगा।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/प्राकृतिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निर्धारित आवधिक आधार पर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुराग सिंह

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।